संख्याः636/एक-10-2020-33(36)/2018 टीसी

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, कुशीनगर, बलिया, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, फर्रूखाबाद गोरखपुर, मऊ, गोण्डा एवं बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः अक्टूबर, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाढ़ से कृषि फसलों को हुई क्षति से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपदों में आई बाढ़ से कृषि फसलों को हुई क्षति के प्राथमिक आंकलन के आधार पर प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 10432.00 लाख (रू0 एक अरब चार करोड़ बत्तीस लाख मात्र) की धनराशि, कालम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-3 में अंकित धनराशि अग्रिम के रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
(1)	(2)	(3)
1	बहराइच	1500.00
2	कुशीनगर	300.00
3	बलिया	20.00
4	खीरी	1000.00
5	बाराबंकी	400.00
6	अम्बेडकरनगर	100.00
7	बस्ती	600.00
8	शाहजहांपुर	3.00
9	पीलीभीत	3.00
10	अयोध्या	6.00
11	आजमगढ़	1500.00
12	देवरिया	1000.00
13	संतकबीरनगर	800.00
14	सिद्धार्थनगर	400.00
15	फर्रूखाबाद	100.00
16	गोरखपुर	1000.00

17	मऊ	1000.00
18	गोण्डा	100.00
19	बलरामपुर	600.00
	योग	10432.00
(रू0 एक अरब चार करोड़ बत्तीस लाख मात्र)		

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिंनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट के माध्यम से 15 अक्टूबर 2020 तक भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना आदि जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के साथ ही इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर कृषि क्षति के प्रारूप पर किसान वार डेटा भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल उन्हीं व्यक्तियों/परिवारों को धनराशि वितरित की जाए जिनका डेटा बेवसाइट पर फीड कर सत्यापित कराया जा चुका हो।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचि किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से हुई कृषि क्षति के अन्तिम आंकलन के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर जनपद की मांग पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

भवदीय,

Digitally signed by संजय गोयल
Date:Mon Oct 05 17:22:24 IST 2020
Reason: Approved

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्याः-636(1)/एक-10-2020-33(36)/2018 टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-05/10/2020

प्रेषण संख्या:- 636
आवंटन आदेश संख्या:- 160-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 3300000	300000 3300000
2	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 7300000	300000 7300000
3	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 14000000	10000000 14000000
4	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 15000000	2000000 15000000
5	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 117000000	100000000 117000000
6	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	60000000 67000000	60000000 67000000
7	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	150000000 172000000	150000000 172000000
8	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 107000000	100000000 107000000
9	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 107000000	100000000 107000000
10	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 7600000	600000 7600000
11	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 17000000	10000000 17000000
12	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	150000000 157000000	150000000 157000000
13	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 47000000	40000000 47000000
14	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 107000000	100000000 107000000
15	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 47000000	40000000 47000000
16	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 37000000	30000000 37000000
17	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 17000000	10000000 17000000
18	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	60000000 68099000	60000000 68099000
19	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	80000000 87000000	80000000 87000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1043200000 1201299000	1043200000 1201299000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब चार करोड़ बत्तीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब बीस करोड़ बारह लाख निन्यानवे हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन